न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/1568/2004/सवाई माधोपुर

1 मुजाहिद पुत्र अब्दुल कदीर
2 शमा परवीन पत्नी मुजाहिद समस्त जाति मुसलमान निवासी गाम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 फातमा बानो पत्नी सलीम जाति मुसलमान निवासी ग्राम मलारना डूंगर
2 राजस्थान सरकार जरिये भू आवंटन सलाहकार समिति बोंली जरिये उपखण्ड अधिकारी, बोली

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अयूब खां वकील अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल वकील प्रत्यर्थी संख्या 1
श्री विजेन्द्र चैधरी अति0 राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.8.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 102/03 में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवंटन सलाहकार समिति ने ग्राम मलारना डूंगर की आराजी खसरा नम्बर 2563 रकबा 1 बीधा भूमि का आवंटन दिनांक 28.6.2002 को वर्तमान अपीलार्थीगण के पक्ष में किया। उक्त आवंटन को अवैध मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त कलक्टर, सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 14.7.2003 से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्ती का आदेश दिया।

इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को इस तथ्य की जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया है कि आवंटन की तिथि को आवंटी के पिता अब्दुल कादीर राजकीय सेवा में थे अथवा नहीं जांच की जावे। राज्य सरकार द्वारा धारा 101(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को हटा दिया गया है तथा इस धारा के अन्तर्गत जो व्यक्ति स्वंय राजकीय सेवा में है, उस पर प्रतिबन्ध है परन्तु उसके पुत्र व पुत्रवधु को आवंटन करने पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है जिससे प्रकरण में किसी जांच की आवश्यकता ही नहीं है। अपीलार्थी आवंटी व उसके पिता के पास कुल 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही है जिससे वह भूमिहीन है। इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतिक्रमी को अतिक्रमण के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आवंटन के दिन आवंटी नाबालिग था तथा उसके पिता राजकीय सेवा में थे जिससे वह आवंटन का पात्र ही नहीं था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवंटी के पिता आवटअन की तिथि को भूमिहीन थे अथवा नहीं तथा राजकीय सेवा में थे अथवा नहीं, की जांच कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आवंटन के दिन की स्थिति की जांचकरने हेतु प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिप्रेषित किया है जो न्यायोचित है क्योंकि आवंटन के दिन आवंटी के पिता राजकीय सेवा में होना बताया गया है जिससे इसकी जांच की जाना आवश्यक है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त कलक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.7.2003 में आवंटी को आवंटन के दिन नाबालिग होना मानकर आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है। इसके विपरीत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने स्कुल प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवंटन के

दिन आवंटी को बालिग होना माना है। परन्तु आवंटन के दिन आवंटी के पिता राजकीय सेवा में थे अथवा नहीं इसकी जांच की जाने तथा आवंटी के भूमिहीन होने तथा आवंटन/नियमन का पात्र होने के संबंध में जाच करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि प्रकरण के सही निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार सभी तथ्यों की जांच की जाकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में हम इस द्वितीय अपील में कोई बल नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 30.1.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य